श्रम एवं जयते

श्रम विभाग, उत्तराखण्ड

श्रमायुक्त - संगठन

मैनुअल - 4

श्रमायुक्त - संगठन के कृत्यों के निवर्हन के लिए स्थापित मानक/नियम

Scanned with OKEN Scanner

मैनुअल–4

विषय	मानक	नियम
(अ). प्रवर्तन 1. निरीक्षण	उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेश के अन्तर्गत जिलाधिकारी की अनुमति से तथा उक्त शासनादेश से भिन्न स्थिति में नियमित रूप से	विभिन्न श्रम संहिताओं, नियमावलियों एवं अधिसूचनाओं के अंतर्गत
2. पंजीकरण/नवीनीकरण	1 माह	–तदैव–
3. लाईसेंसिंग	1 माह	–तदैव–
4. स्थायी आदेशों का प्रमाणीकरण	–	औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली
(ब) औद्योगिक सम्बन्ध 1. औद्योगिक विवादों का निस्तारण	–	औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020
2. समझौता कार्यवाही एवं समझोतों का पंजीकरण	–	–तदैव–
3. औद्योगिक विवादों सम्बन्धी सूचनाओं का संकलित करना तथा प्रेषण।		विभागीय मैनुअल
(स) ट्रेड यूनियन		औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020
ट्रेड यूनियन का पंजीकरण, निरस्तीकरण, ट्रेड यूनियन चुनावों का दर्ज करना एवं अभिलेखों का रख–रखाव		"
(द) आंकड़ों का संग्रहीकरण एवं प्रस्तुत		लेबर मैनुअल। लेबर मैनुअल। – " – – " –

Scanned with OKEN Scanner

दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत किसी दुकान/वाणिज्य अधिष्ठान का पंजीयन करने की समय सीमा अधिनियम के अनुसार 30 दिन निर्धारित की गयी है। पंजीयन प्रमाण पत्र निरीक्षक श्रम प्रवर्तन अधिकारी द्वारा जारी किये जाते हैं।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थियाँ संहिता, 2020 (OSH Code, 2020) के अन्तर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठानों के संविदाकारों को संविदा श्रमिक नियोजित किये जाने हेतु लाईसेंस जारी किया जाता है जिसमें सामान्यत: 30 दिन का समय लग जाता है। लाईसेंस जारी करने हेतु अधिकृत अधिकारी सहायक श्रमायुक्त, उप श्रमायुक्त एवं अपर श्रमायुक्त हैं।

औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 (IR Code, 2020) के अन्तर्गत ट्रेड यूनियन के कार्यकारिणी चुनाव का पंजीकरण करने हेतु रजिस्ट्रार/श्रमायुक्त द्वारा कार्यकारिणी चुनाव दर्ज करने के निर्देश दिये गये हैं।

औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 (IR Code, 2020) के अन्तर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में स्थाई आदेश के आलेख पांच प्रतियों में प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तुत किये जाते हैं। स्थाई आदेश के प्रमाणपत्रदाता अधिकारी उपश्रमायुक्त हैं।

दावों का निस्तारण

1. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (COSS Code, 2020) :- प्रार्थी सेवानिवृत्ति के बाद आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा। सामान्यतः आवेदन प्राप्त होने के 15दिन के अन्दर सुनवाई हेतु पक्षों को सुने जाने हेतु सम्मन जारी कर दिया जाता है। निर्णय/ आदेश नियन्त्रण प्राधिकारी द्वारा जारी किये जाते हैं।

अपील :- नियन्त्रण प्राधिकारी के द्वारा पारित निर्णय/आदेश के 60 दिन के अन्दर अपील, अपीलेट आथोरिटी/अपर श्रमायुक्त के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

2. वेतन संहिता, 2020 (COW Code, 2020) :- वेतन संहिता, 2020 के अन्तर्गत श्रमिकों की देनगी के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 45 (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यक्ति प्राधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकते हैं :-

1. स्वयं कर्मकार
2. यूनियन, जिसका कर्मकार सदस्य है।
3. निरीक्षक

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवेदन देने का समय 6माह निश्चित किया गया है जो उस तिथि से माना जायेगा जिस दिन न्यूनतम या अन्य राशि देय हो जाती है। आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सामान्यतः 15 दिन के अन्दर सम्मन जारी कर दिये जाते हैं। दावे के निस्तारण की कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। दावे का निस्तारण आदेश प्राधिकारी (सहायक श्रमायुक्त उप श्रमायुक्त) द्वारा किया जाता है।

Scanned with OKEN Scanner

4. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (COSS Code, 2020) :- अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई आवेदन पत्र/दावा दुर्घटना की तिथि से दो वर्ष की समय सीमा के अन्दर कर्मकार प्रतिकर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। आवेदन प्राप्त होने पर सामान्यत: 15 दिन के अन्दर पक्षों को सुने जाने हेतु सम्मन जारी कर दिये जाते हैं। आवेदन पत्र/दावे के निस्तारण हेतु कोई समय सीमा निश्चित नहीं है।

अपील :- कर्मकार प्रतिकर आयुक्त द्वारा दावा निस्तारित करने की तिथि से 60 दिन के अन्दर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की जा सकती है।

5. उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के द्वारा अनुकूलित एवं उपान्तरित उ०प्र० औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 :- अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कोई भी श्रमिक /व्यक्ति अपनी सेवा समाप्ति की तिथि से 2 वर्ष के अन्दर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर सामान्यतः एक सप्ताह के अन्दर पक्षों को समझौता वार्ता हेतु आहूत किया जाता है। समझौता वार्ता संराधन अधिकारी (सहायक श्रमायुक्त/उप श्रमायुक्त) द्वारा करायी जाती है। समझौता न होने व औद्योगिक विवाद विद्यमान होने की दशा में संराधन अधिकारी द्वारा विवाद के गुण दोष के आधार पर अपनी रिपोर्ट प्रेषित की जाती है

Scanned with OKEN Scanner

कारखाना एवं ब्वायलर

1. कारखानों का पंजीकरण	तीन माह के अन्दर (यदि समस्त पत्रजात नियमानुसार है।)
2. कारखानों का नवीनीकरण	दो माह के अन्दर (यदि प्राप्त समस्त पत्रजात नियमानुसार है।)
3. कारखानों मे घटित सधांत्मक/ गम्भीर दुर्घटना की जाचें (जाचें प्रक्रिया से माननीय न्यायालय में अभियोग दायर करने तक)	तीन माह के अन्दर
4. ब्वायलर का पंजीयन	दो माह
5. कारखाना अधिनियम -1948 एवम् ब्वायलर अधिनियम 1923 के अन्तर्गत निरीक्षण का कार्य	भारतीय कारखाना अधिनियम-1948 व उससें सम्बन्धित नियमावलियों के अर्न्तगत सामान्य श्रेणी के कारखानों का वर्ष में एक बार, खतरनाक श्रेणी के कारखानों का वर्ष मे दो बार तथा अति खतरनाक श्रेणी का वर्ष मे तीन बार (दो बार सहायक निदेशक कारखाना/ब्वायलर द्वारा, तथा मुख्य कारखाना निरीक्षक/ब्वायलर के द्वारा वर्ष मे एक बार) निरीक्षण किया जाता है। भारतीय ब्वायलर अधिनियम-1923 के अन्तर्गत सभी ब्वायलर्स का वार्षिक निरीक्षण शुल्क प्रप्ति पर वर्ष मे एक बार निरीक्षण करना वैधानिक वाध्यता है, क्योंकि वैद्य प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना ब्वायलर का संचालन अवैधानिक है ।

Scanned with OKEN Scanner

क्र0सं0	प्रभाग का नाम	कार्य/उन्हें तैयार/अनुपालन करने का तरीका	मानक	नियम
1	प्रवर्तन	1.निरीक्षण जिलाधिकारी /मण्डलायुक्त की अनुमति के उपरांत उद्योगों में समिति निरीक्षण व्यवस्था लागू थी टीमें गठित कर औद्योगिक इकाईयों के निरीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है ।	शासनादेश संख्या सी0एस0-1439/77-6-6 9 दिनांक 26.10.98(पूर्ववर्ती उ0प्र0) के अन्तर्गत जिलाधिकारी/ मण्डलायुक्त की अनुमति के उपरांत उद्योगों में सीमित निरीक्षण व्यवस्था लागू थी तथा उत्तरांचल के शासनादेश संख्या 838/VIII/45-श्रम/06, दिनांक 6.5.06 द्वारा टीमें गठित कर औद्योगिक इकाईयों के निरीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी।	1. कारखाना अधिनियम, 1948 2. ब्वायलर अधिनियम, 1923 3. संविदा श्रम अधिनियम, 1970 4. स्थाई आदेश अधिनियम, 1946 5. न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 6. राष्ट्रीय अवकाश अधिनियम, 1948 7. बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 8. ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 9. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
		2- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948		न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
		3- मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961	विभिन्न अधिनियमों का अनुपालन किया जाना	मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961
		4.पंजीकरण /नवीनीकरण		उत्तराखण्ड दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 2000 का प्रशासन एवं कार्यान्वयन
		5. लाईसेंसिंग	विभिन्न श्रम अधिनियमों का अनुपालन किया जाना	श्रम अधिनियमों का अनुपालन किया
		6. स्थाई आदेशों का प्रमाणीकरण		स्थाई आदेश अधिनियम, 1946

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

क्र0सं0	प्रभाग का नाम	कार्य/उन्हें तैयार/अनुपालन करने का तरीका	मानक	नियम
(ब)	औद्योगिक सम्बन्ध	प्रदेश में स्थापित उद्योगों में उत्पन्न औद्योगिक विवादों का निपटारा आपसी समझौता, द्विपक्षीय समझौता एवं त्रिपक्षीय समझौता के माध्यम से सम्पन्न किया जाता है ।	समझौता सम्पन्न होने तक	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 शासनादेशानुसार
		औद्योगिक विवाद एवं अन्य औद्योगिक विवादों से कार्य बंदी और औद्योगिक सम्बन्ध की मासिक सूचना भारत सरकार एवं प्रशासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र में भारत सरकार श्रम मंत्रालय, श्रम ब्यूरो एवं उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित की जाती हैं ।	मासिक सूचना	
	बजट प्रभाग	शासन से प्राप्त बजट का आवंटन किया जाना	अनुदान सं-16 लेखा शीर्षक 2230,4216	शासनादेशानुसार
	यात्रा विपत्र	समस्त अधिकारियों/ कर्मचारियों के यात्रा भुगतान हेतु प्रस्तुत करना	-	शासनादेशानुसार
	मासिक व्यय विवरण	शासन को मासिक व्यय विवरणी का प्रेषण किया जाना		
(स)	ट्रेड यूनियन	ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 का कार्यान्वयन, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत संरक्षित श्रमिकों की घोषणा और महासंघों (फैडरेशनों) की मान्यता सम्बन्धी कार्य। उद्योगों में अनुशासन संहिता के अन्तर्गत यूनियनों को मान्यता दिलाने का कार्य और संयुक्त प्रबन्ध परिषदों की स्थापना सम्बन्धी कार्य।		

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

क्र0सं0	प्रभाग का नाम	कार्य/उन्हें तैयार/अनुपालन करने का तरीका	मानक	नियम
(स)	श्रम कल्याण	1-वेतन आहरण सेवानिवृत्ति कार्मिकों श्रमिकों तथा उनके परिवार के सदस्यों के सर्वांगीण विकास के लिए राजकीय श्रम हितकारी केन्द्रों के माध्यम से श्रम विभाग द्वारा विभिन्न कल्याणकारी सुविधाएं दिलायी जाती हैं।	समयानुसार श्रम हितकारी केन्द्रों में चिकित्सा सुविधायें मातृ एवं शिशु कल्याण का विभाग, सिंलाई कढ़ाई, कमरे के खेल एवं मैदान के खेल पुस्तकालय एवं वाचनालय की सुविधा प्रदान की जाती है।	शासनादेशानुसार समय-समय पर निर्गत शासनादेशानुसार एवं नियम
य	लेखा	1.वेतन आहरण सेवानिवृत्ति कार्मिकों की पेंशन निर्धारण डी0ए0 एरियर का भुगतान	समयानुसार	शासनादेशानुसार
	फण्ड प्रभाग	सा0भविष्य निधि का रख रखाव तथा अधिकारियों/कर्मचारियों का अस्थायी/स्थायी जी0पी0 एफ0 भुगतान एवं 90 प्रतिशत भुगतान की कार्यवाही की जाती है।	प्रार्थना पत्र के अनुसार	समय-समय पर जारी शासनादेशानुसार
	बोनस प्रभाग	प्रतिष्ठानों में नियोजित कर्मकारों को 8.33 उत्पादन की दर से बोनस के भुगतान की कार्यवाही की जाती है। अनियमितता तथा उल्लंघन करने पर प्रभियोजन की कार्यवाही की जाती है।	माह नवम्बर वित्तीय वर्ष माना जाता है।	बोनस भुगतान अधिनियम, 1965
(र)	सामान्य प्रशासन (नजारत)	कार्यालय भवन, फर्नीचर, स्टोर, लेखन-सामग्री इत्यादि का प्रबन्ध एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के स्थापना सम्बन्धी कार्य	आदेशों के अनुपालन करने हेतु	शासनादेशानुसार

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

श्रम आयुक्त संगठन, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी के अन्तर्गत स्थापना प्रभाग द्वारा सम्पादित कार्यों का विवरण :-

1- सेवा सम्बन्धी अभिलेख का रख-रखाव :-

(I) गोपनीय चरित्र प्रविष्टि (II) सेवा पुस्तिका (III) निजी पत्रावली,

(Iv)अवकाश लेखा का रख-रखाव/स्वीकृति ।

(v) शासनादेश/सेवा नियमावली का रख-रखाव ।

2- सेवा सम्बन्धी प्रकरणों का निस्तारण :-

(I) नियुक्ति/प्रोन्नति/स्थायीकरण, समयमान वेतनमान/प्रोन्नत वेतनमान की स्वीकृति/निस्तारण, वार्षिक वेतनवृद्धि की स्वीकृति ।

(II) सेवानिवृत्ति लाभ-पेंशन, ग्रेच्युटी आदि सम्बन्धी प्रकरणों की स्वीकृति/ निस्तारण ।

(III) सामान्य भविष्यनिधि खाता आवंटन की कार्यवाही ।

(Iv) लोक सेवा आयोग को अधियाचन का प्रेषण ।

(v) कार्मिक ज्येष्ठता निर्धारण ।

(vI) कार्मिक सम्बन्धी उपालम्भ, विभागीय/अनुशासनात्मक कार्यवाही का निस्तारण।

(vII) कार्मिक/विभागीय वादों का निस्तारण/तत्सम्बन्धी सूचना का प्रेषण।

3- विभागीय संरचना का गठन/एस0एन0डी0 प्रस्ताव का प्रेषण।

4- विभिन्न मासिक/बैठक सम्बन्धी सूचना का प्रेषण ।

5- कार्मिक संघों की मांगों का निस्तारण ।

6- विविध कार्मिक प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यों का सम्पादन ।

7- शासन/उच्चाधिकारियों द्वारा वांछित सूचना का प्रेषण ।

8- कार्मिक/सेवा सम्बन्धी मामलों में लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा प्रश्नों का निस्तारण ।

9- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 सम्बन्धी सूचनाओं का प्रेषण ।

10- डाक प्राप्ति/तत्सम्बन्धी लेखा-जोखा/निस्तारण ।

11- अन्य विभिन्न विभागीय आवश्यक सूचनाओं का प्रेषण ।

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

श्रम हितकारी केन्द्र का विवरण

श्रम हितकारी केन्द्र में श्रमिकों तथा उनके परिवार के सदस्यों के सर्वांगीण विकास के लिए राजकीय श्रम हितकारी केन्द्रों के माध्यम से श्रम विभाग द्वारा विभिन्न कल्याणकारी सुविधाएं दिलाई जा रही है । प्रदेश में वर्तमान में केवल 02 श्रम हितकारी केन्द्र पंतनगर एवं काशीपुर में स्थापित है।

1-संचालन:- केन्द्र में चिकित्साधिकारी, हितकारी अधीक्षक, फार्मेसिस्ट, सिलाई शिक्षिका एवं मिडवाईफ तथा अनुसेवक के पद सृजित है, जिसका संचालन केन्द्र के हितकारी अधीक्षक तथा चिकित्सा से सम्बन्धित कार्यों का संचालन चिकित्साधिकारी द्वारा किया जाता है।

2-चिकित्सा प्रभाग:- चिकित्सा प्रभाग में आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक चिकित्साधिकारी, फार्मेसिस्ट तथा मिडवाईफ के पद सृजित तथा कार्यरत है, जिनके द्वारा वर्तमान में निम्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

चिकित्सा सहायता:- श्रम हितकारी केन्द्रों में श्रमिक एवं उनके परिवार के सदस्यों को मुफ्त में आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक की चिकित्सा सहायता दिलाई जाती है। इसके अतिरिक्त शिशु कल्याण कार्यक्रम, मातृका कल्याण कार्यक्रम तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम भी चलाये जा रहे हैं।

सिलाई कढ़ाई एवं बुनाई प्रशिक्षण :- केन्द्रों में श्रमिकों की स्त्रियों एवं बालिकाओं को सिलाई, कढ़ाई एवं बुनाई का प्रशिक्षण केन्द्रों की सिलाई शिक्षिका द्वारा मुफ्त में किया जाता है । प्रशिक्षण के बाद शिक्षणार्थियों की परीक्षा ली जाती है, जिन्हें विभाग द्वारा डिप्लोमा दिया जाता है।

पुस्तकालय का संचालन :- श्रम हितकारी केन्द्रों में श्रमिकों एवं उनके बच्चों को पढ़ने हेतु पुस्तकों की भी व्यवस्था है, जिसके लिए केन्द्रों में पुस्तकालय कक्ष स्थापित किये गये है।

क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम :- केन्द्र में मनोरंजन हेतु व्यायामशाला बच्चों के मैदान के खेलों की तथा महिलाओं के लिए संगीत कार्यक्रम की भी व्यवस्था हैं।

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner